न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 46/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रतनसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी विंगरला तहसील रानी जिला पाली		1 मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 2 जयसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 3 जगदीशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 4 हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जातिगण पुरोहित निवासीगण विंगरला तहसील रानी जिला पाली 5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री जयसिंह, रेस्पोडेन्ट संख्या 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2015 रतनसिंह बनाम मोहनसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि है। पूर्व में अपीलाण्ट का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा था तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता लक्ष्मणसिंह पुत्र भारतसिंह की थी। लक्ष्मणसिंह पुत्र भारतसिंह द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि का अपीलाण्ट को दिनांक 05.10.1981 के जरिये बेचान किया। इस प्रकार जेर अपील विवादित आराजी एकमात्र रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट की खातेदारी है। उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने एवं इसी दौरान भू–प्रबन्ध की कार्यवाही आरम्भ होने से लक्ष्मणसिंह द्वारा गलत अर्जी दाखिल कर विवाद किया एवं उसके पश्चात लक्ष्मणसिंह फौत होने के कारण रेस्पोडेन्ट का नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज हो गया। इसको दुरूस्त कराने एवं जैर अपील विवादित आराजी की खातेदारी घोषित कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा सहायक कलक्टर देसूरी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जो दिनांक 19.05.2010 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया, जिसको पुनः बरामद करवाया गया। इसके पश्चात उक्त वाद को दिनांक 16.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। इसे पुनः रेस्टोर करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई विधिक जांच किए एवं प्रक्रिया की पालना किए बिना, राजस्व लोक अदालत में खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट कैम्प वरकाणा में उपस्थित हुआ, जिसे आदेशिका पर हस्ताक्षर करने को कहा एवं यह भी कहा कि मूल वाद पुनः दर्ज हो जाएगा, किन्तु आदेशिका की प्रति प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज़ कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट का आरोप था कि लक्ष्मणसिंह ने जमीन नहीं बेची, इस सम्बन्ध में लक्ष्मणसिंह ने फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस अनुसंधान में बेचान की पुष्टि हुई है। बेचान दस्तावेज पंजीबद्ध है, जिस पर लक्ष्मणसिंह के हस्ताक्षर है। इस कारण लक्ष्मणसिंह द्वारा दर्ज प्रकरण झूठा पाया गया था। चूंकि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट्स के पिता द्वारा बेचान की जा चुकी है, जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स ने भी पृथक से वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनका कोई हक हिस्सा नहीं माना है। अपीलाण्ट को मात्र तकनीकि आधार पर अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट के पिता लक्ष्मणसिंह द्वारा किसी भी रूप में भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं किय गया, वे न तो देसूरी गए एवं न ही वहां पर कोई हस्ताक्षर किए। अपीलाण्ट को किसी भी पक्षकार द्वारा भूमि का बेचान नहीं किया गया। सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से विरदसिंह के पुत्रों का नाम हटाकर अपीलाण्ट का नाम दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध विविध फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाए, जो अनुसंधान में झूठे पाए गए। आज भी जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट्स काबिज काश्त है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से वाद एवं अन्य कार्यवाहियां की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके वाद को बार बार अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया, वह वाद अपीलाण्ट के व्यतिक्रम में बार–बार खारिज़ हुआ। विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने अभिनिर्णयों में यह व्यवस्था प्रदान की है कि पक्षकार को अपने वाद के प्रति सजग होना आवश्यक है। अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता द्वारा बार–बार न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा प्रथम बार में अपीलाण्ट की अपील को पुनः रेस्टोर किया गया, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः वाद को व्यतिक्रम में खारिज़ किया गया। उक्त आदेश को अपास्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे न्यायालय में अनुपस्थित रहने का कोई न्यायोचित कारण दर्शित नहीं होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जैर अपील आदेश के जरिये खारिज़ किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2015 रतनसिंह बनाम मोहनसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्ययालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली